निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 अग्रहायण 1938 (श0)
(सं0 पटना 1053) पटना, मंगलवार, 13 दिसम्बर 2016

सं0 08/आरोप–01–05/2014,सा०प्र०–10455

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

29 जुलाई 2016

श्री विजय कुमार, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 434/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, नगर अंचल, गया सम्प्रति नगर आयुक्त, नगर निगम, गया के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्रों एवं बी०टी० एक्ट–1973 के प्रावधानों के प्रतिकूल रैयती, गैर मजरूआ आम भूमि/गैर मजरूआ मालिक जमीन का लगान निर्धारण करने संबंधी जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–2249, दिनांक 21.05.2012 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2773, दिनांक 26.02.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को उक्त विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी तथा अपर समाहर्त्ता, गया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी यथा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना ने अपने आदेश ज्ञापांक–474, दिनांक 21.03.2014 द्वारा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को जाँच हेतु उक्त मामला हस्तांतरित किया।

3. संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना ने अपने पत्रांक–93, दिनांक 23.01.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित बताया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत निम्नलिखित तथ्य पाया गया :–

(i) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के दिशा–निर्देश एवं बी०टी०एक्ट–1973 के प्रावधानों के अनुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को लगान निर्धारण की शक्ति प्रदत्त है। इसके बावजूद आरोपित पदाधिकारी (अंचलाधिकारी, नगर, गया) द्वारा रैयती, गैर मजरूआ तथा बिहार सरकार की भूमि का लगान निर्धारण किया गया। जिला पदाधिकारी, गया द्वारा उक्त अनियमितता से संबंधित अभिलेख की जाँच कराकर आरोप प्रतिवेदित किया गया। इसके बावजूद जाँच के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा लगान निर्धारण के अभिलेखों का परीक्षण नहीं किया गया जबकि ये आरोपों की प्रमाणिकता से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य थे।

(ii) विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी ने आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा अंकित मंतव्य पर आधारित आरोप पत्र को नजरअन्दाज करते हुए उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दिये गये तथ्यहीन मंतव्य को स्वीकार कर लिया।

(iii) जिला पदाधिकारी द्वारा लगान निर्धारण में अनियमितता से संबंधित इस मामले में अभिलेखों की जिला स्तर पर जाँच के उपरांत आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु आरोप प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया था। परन्तु उपस्थापन पदाधिकारी ने जिला पदाधिकारी के मंतव्य के विपरीत आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण पर अपनी अनापत्ति प्रकट करते हुए मंतव्य दिया। संचालन पदाधिकारी ने भी राजस्व क्षति से संबंधित लगान निर्धारण में अनियमितता के आरोपों को गम्भीरता से नहीं लिया।

वर्णित तथ्यों के आधार पर यह अपरिहार्य हो गया है कि श्री कुमार के विरूद्ध गठित उक्त आरोपों की आगे और जाँच पूर्ण करायी जाय।

5. अतएव सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि श्री विजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–434/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, नगर, गया के विरूद्ध गठित उक्त आरोपों की आगे और जाँच, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17(2) में विहित रीति से पूर्ण करायी जाय।

इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना होगें जो **स्वयं** इस मामले की आगे और जाँच करेंगे तथा उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, गया द्वारा मनोनीत पदाधिकारी होंगे।

6. श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

राम विशुन राय,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1053–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in